निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 126/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामसहाय शर्मा पुत्र स्व॰ श्री गंगाराम उर्फ गंगूराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगराना, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राकेश कुमार मीणा आर॰ ए॰ एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर।

2 कल्लू शर्मा तथाकथित पुत्र स्व॰ श्री श्यामसुन्दर शर्मा जाति ब्राह्मण, ग्राम बगराना, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 व टी आई संख्या 15/2022 व उनवानी रामसहाय शर्मा बनाम कल्लू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बावत ।

उपस्थितः–

1. श्री गणेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 21/2022 व टी आई संख्या 15/2022 व उनवानी रामसहाय शर्मा बनाम कल्लू व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 07.06.2022 मंगलवार को सांय लगभग 4 बजे वादग्रस्त भूमि पर आकर अपने साथ लाये 10–15 गुण्डों के सामने एलानियां घोषणा की है कि मैने एस डी एम जयपुर प्रथम श्री राकेश कुमार मीणा को तीन लाख रूपये दे दिये है। अब देखना मै कैसे इस पूरी नदी पर अतिक्रमण करता हूं और तुम्हारे स्टे को चुटकी में अगली एक–दो तारीख में खारिज करवाता हूँ। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त कथन सुन कर प्रार्थी के पैरों तले जमीन खिसक गई तथा अगले दिन नियत दिनांक 08.06.2022 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कथन कहना कि – " इस नदी की जमीन खसरा नम्बर 175 एवं 179 पर कल्लू वगैरह कब्जा कर रहे है, तो तुम्हें क्यों आपत्ति है।

जिला कलक्टर
जयपुर

मैं इन नदी के खसरा नम्बर से स्टे खारिज करूंगा। " इससे प्रार्थी संख्या 2 के कथन एवं आपसी मिलीभगत की पुष्टि होती है। इस कारण अब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 सें उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की कतई आशा नहीं रही है, बल्कि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से उसके द्वारा कहे अनुसार ही अनुचित परितोष प्राप्त कर लिया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रीज्यूडिश होकर, अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ही आदेश पारित करेगें तथा गै॰ मु॰ नदी की भूमि पर अतिक्रमण में अप्रार्थी संख्या 2 का पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। प्रार्थी को अब उक्त प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण की कतई आशा अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान पीठासीन अधिकारी से नहीं रही है। ऐसी स्थित में उक्त मामले को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मामले में स्थगन प्राप्त कर रखा है। इसलिए प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण का जयपुर स्थित किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उप खण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जान पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2022 व टी॰ आई॰ संख्या 15/2022 व ब उनवानी रामसहाय शर्मा बनाम कल्लू व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर कैम्प जयपुर में अग्रिम सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 17.10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर कैम्प जयपुर में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी आमेर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **20.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर